

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा)

मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं० 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/ निर्वर्तन/ 2604

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :- वनोपज के विक्रय पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि के भुगतान के संबंध में ।

—:00:—

इस कार्यालय को विभिन्न वन मंडलों से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में कुछ शंकाओं के समाधान बावत् पत्र प्राप्त हुए हैं। तत्संबंध में संचालक (वित्त/बजट), वन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

1. जिन वन मंडलाधिकारियों द्वारा जी.एस.टी. की राशि त्रुटिवश, राजस्व के साथ-साथ "राजस्व" मद में ही जमा करा दी गई है, वे राजस्व वापसी की प्रक्रिया के तहत राशि वापस लेकर जी.एस.टी. खाते में जमा करा सकते हैं।
2. जिन वन मंडलाधिकारियों द्वारा त्रुटिवश देर से जी.एस.टी. की राशि भरने के कारण ब्याज/पैनाल्टी अधिरोपित की गई उसका परीक्षण कर लिया जाए कि ब्याज/पैनाल्टी की राशि कार्यालय की त्रुटि के कारण अधिरोपित हो रही है, अथवा शासकीय प्रक्रिया में देरी के कारण। यदि शासकीय प्रक्रिया में देरी के कारण हो रही है तो # 51 अन्य प्रभार मद से भुगतान किया जा सकता है।
3. कुछ वनमंडलों में पी.डी. खाते से राशि आहरण कर जी.एस.टी. खाते में भुगतान करने में कठिनाई आ रही है तो ऐसे प्रकरण में स्पष्ट है कि संबंधित कार्यालय द्वारा आई.एफ.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं लिया गया। ऐसे प्रकरणों में जिला स्तर के अन्य राजस्व वाले कार्यालयों से संपर्क कर तथा प्रक्रिया समझकर अपनी कठिनाई का निराकरण कर सकते हैं।

(एस.पी. शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

क्रमांक/ निर्वर्तन/ 2605

प्रतिलिपि :- समस्त वनमंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय) वनमंडल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल